न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 14 / 2020 तारीख रजू 01.09.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. मुकेश कुमार जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन (विक्रेता व मालिक) फर्म–मुकेश कुमार जैन दूध एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स मेन मार्केट चौथ का बरवाडा। निवासी मेन मार्केट चौथ का बरवाडा
2. इंसाफ अली पुत्र जनसी खान जाति मुसलमान (पार्टनर) फर्म–फ्रेन्डस एन्टर प्राईजेज टी. आर.डी. कॉलोनी के पास रेल्वे कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर।
3. कादीर पुत्र अमीर मोहम्मद जाति मुसलमान (पार्टनर) फर्म–फ्रेन्डस एन्टर प्राईजेज टी.आर. डी. कॉलोनी के पास रेल्वे कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर।
4. मोहम्मद जमील खान पुत्र जानदार खान जाति मुसलमान (पार्टनर) फर्म–फ्रेन्डस एन्टर प्राईजेज टी.आर.डी. कॉलोनी के पास रेल्वे कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर।
5. अलीमुदीन पुत्र नूरूद्दीन जाति मुसलमान (पार्टनर) फर्म–फ्रेन्डस एन्टर प्राईजेज टी.आर.डी. कॉलोनी के पास रेल्वे कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर।
6. मेहर अली पुत्र अमीर खॉ जाति मुसलमान (पार्टनर) फर्म–फ्रेन्डस एन्टर प्राईजेज टी.आर. डी. कॉलोनी के पास रेल्वे कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर।
7. द्वारीका लाल नागर पुत्र नंदलाल नागर (नोमिनी) निर्माता फर्म–शिव हेल्थ एलएलपी ई–164 रिको एग्रो फूड पार्क Phase 11 Village Ranpur Road Kota निवासी 210 बंजारो की बस्ती खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
8. निर्माता फर्म– शिव हेल्थ एलएलपी ई–164 रिको एग्रो फूड पार्क Phase 11 Village Ranpur Road Kota जरिये नोमिनी

.....अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:13:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय:– दिनांक 14.09.2021

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.01.2020 को समय 11.00 एम.एम.पर फर्म–मुकेश कुमार जैन दूध एण्ड डेयरी प्रोडक्टस मेन मार्केट चौथ का बरवाडा पर पहुॅचा वहा पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन बताया को आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में खाद्य पदार्थ Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) 500 मिली. पैक लगभग 60 पैक एक फ्रीज में रखे हुये थे खाद्य पदार्थ Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) 500 मिली. के पैको का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक मुकेश कुमार जैन से उक्त खाद्य पदार्थ Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) 500 मिली. पैक के पैको मे से शुंद्वता व लेबल की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) में से 4 पैक Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) से 80 रूपये नगद देकर खरीद की तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त की वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 80 रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) के चार चार साफ कॉच की शीशी में बराबर–बराबर भरकर अच्छी तरह बन्द कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच–1758 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सील बंद नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता राकेश शर्मा ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:13:27 IST
Reason: SelfAttested

सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई मांधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2020/53 दिनांक 29.01.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/88/एक्ट/2020/151 दिनांक 24.01.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच व विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का विक्रय एव निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा घी खुला हुआ सब स्टेण्डर्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी की दुध डेयरी की दुकान ग्राम चौथ का बरवाडा मे है जिसमें खाद्व सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.01.2020 कौ झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थी पर एफएसएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है जिसमें खाद्य पदार्थ Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) जॉच रिपोर्ट में सबस्टेण्र्ड प्रकति का पाया गया है प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं थी। भविष्य में ध्यान रखा जावेंगा। अतः प्रार्थी का प्रकरण आज ही न्यूनत्तम शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करने का श्रम करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:13:27 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/88/एक्ट/2020/151/दिनांक 24.01.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच एवं विक्रय/निमार्ण किया गया खाद्य पदार्थ Pasteurised Toned Milk(Kota Fresh) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उलघंन किया है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्त को सब स्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/– रूपये (अक्षरेः दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:13:27 IST
Reason: SelfAttested